

(1)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

विज्ञापन/पत्रांक संख्या : 4739


दिनांक. 30-01-2024

ई-निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से गीडा में विद्युत से संबंधित 14 कार्यों हेतु ई-निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवम् निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर देखे एवं वही पर भरे जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें, क्योंकि आन लाईन ई-निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।


(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

(2)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सेक्टर-13 एवं 15 में Existing water supply pipe line में फायर हार्डिंग्स लगायें जाने हेतु गीड़ा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्धसरकारी उपकरणों में सिविल कार्य हेतु कालम नं० 7 सिस्टम के द्वारा निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीवालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीड़ा कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगरण धनराशि रु०(लाख में) सहित।	धरोहर धनराशि रु० (लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यविधि	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Supply and fixing of Fire Hydrant Post on Existing pipe line in Sector 13 and 15 GIDA, Gorakhpur.	10.51	1.06	2950.00	02 मौह	'सभी श्रेणी'

नोट— कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीड़ा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्ते :-

- 1— निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या—740901000088, IFSC कोड—ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2— निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- 3—निविदादाता/फर्म को गीड़ा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'किसी भी' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4— ऐसे निविदादाता जिसका सगा—संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीड़ा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5— ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 6— कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन 3 लोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी०-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी०-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आई०टी०आर एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड के प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिट जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुरं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिट धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक र उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये ₹0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी०आई०एस० प्रमाण-पत्र तथा आई०एस०ओ प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराद होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधा कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री को गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रीं ली आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB व्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या


8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।


(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीड़ा/उ० प्र० जल निगम, ब्रे
नियम एवं शर्तों के अनुसार करना होगा।

25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना
होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य
करने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं
हैंडेड ऑवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा
निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी
देय का भुगतान नहीं होगा।


27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



(अनुज मलिक)


मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ५७६०/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/२०२३-२४ दिनोंक ३० जनवरी २०२४
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि
निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने
का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।


(अनुज मलिक)


मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(6)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गीडा के विकसित सेक्टर-05, 07, 09 एवं 11 में पथ-प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लगायी गयी एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीवालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीवालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेसियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क० सं०	कार्य का नाम	आगण धनराशि जी. एस.टी. सहित (र० लाख में)।	धरोहर धनराशि (र० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा के विकसित सेक्टर-05, 07, 09 एवं 11 में पथ-प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लगायी गयी एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण का कार्य।	9.07	0.91	1180.00	02 मौह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	'सभी श्रेणी'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (U/R No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'किसी भी' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिंस में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु र० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8— शासनादेश संख्या—2572 /23-7-2014-176 (सामान्य) / 06 टोसी० दिनांक 23-09-2014 के कानूनिविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०-०४ (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी०-०५ (वैद्य प्रमाण-पत्र) की सत्यपित छाया प्रति एवम् टी०-६ मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निगरानीटराईज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9— शासनादेश संख्या 836 /23-07-2017 (सा०) / 06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आईटीआर० एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफार्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण—पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर” को संबोधित करते हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई—प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19— निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20— निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कर्मी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निधारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21— निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22— (a) ऑन लाईन ई—निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय—समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23— निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में समिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।


24—निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा—16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यूपी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

25—कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।

27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।




(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी


पत्रांक ४७६२/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/2023-24 दिनांक ३०-जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०) /नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड / डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (०५५१) २५८००१०, फैक्स (०५५१) २५८००१०.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नौसड़ से कालेसर तक सड़क के मध्य लगे एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिक्रिया दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेविनकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की वज्ञा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यवधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नौसड़ से कालेसर तक सड़क के मध्य लगे एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण का कार्य	17.81	1.79	2950.00	03 माह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

- 6- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनिवार्य है।
- 7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 8- शासनादेश संख्या-2572 /23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
- 9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमे दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में सलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफार्मेन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।
- 15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

(12)

निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ कॉफ्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवं गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चाधिकारियों द्वारा समय—समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण—पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाइन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक् से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय—समय पर भुगतान किया जायेगा एवं तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दायंदी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदायंदी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में समिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(१४)

- (a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ० प्र० पावर वारप्र०स०न लि०, द्वारा अनुमोदित जी०टी०पी० के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यू०पी०पी०सी०एल० के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।
- 25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।
- 27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ४७८३ / अभि०नि०-६ / विद्युत / ई-निविदा / गीडा / 2023-24 दिनांक १० जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (०५५१) २५८००१०, फैक्स (०५५१) २५८००१०.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-11 (कामर्शियल) में स्थित 33 के.वी. विद्युत लाईन की शिपिटंग के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विडस सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-11 (कामर्शियल) में स्थित 33 के.वी. विद्युत लाईन की शिपिटंग का कार्य।	155.02	9.75	2950.00	04 मॉह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित बैंध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो सङ्ज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत नोटराईज्ड) ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये ₹0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अंर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

१६

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फॉर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पुथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री डुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

- १७
- (a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीड़ा/उ0 प्र0 पावर कंसरपोरेशन लिं0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीड़ा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीड़ा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तें के अनुसार अनुमन्य होगी।
- 25- कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।
- 27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी


पत्रांक ५७५५/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/2023-24 दिनांक ३० जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-15 (हरैया कानूनगों) में स्थित ग्रामीण खजनी फीडर की 11 के.वी. विद्युत लाईन के शिपिटंग के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीवालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीवालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिल खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय भन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी. एस.टी. सहित (रु0 लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-15 (हरैया कानूनगों) में स्थित ग्रामीण खजनी फीडर की 11 के.वी. विद्युत लाईन के शिपिटंग के	53.96	4.70	2950.00	03 मॉह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें :-

1- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।

3- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के दिन कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

6- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के कम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा मे भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफार्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये ₹0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

7- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा संमय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक 'अधिकारी गीड़ा' में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कर्मी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरों किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निवेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिकिरांग का कार्य गीड़ा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीड़ा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीड़ा/लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

- (21)
- 25- कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना।
होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा जारी कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।
- 27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ४७६६/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा/गीड़ा/2023-24 दिनांक ३० जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा। निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-11 (कामर्शियल) गीडा में स्थित 11 के.वी. विद्युत की शिपिटंग के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-11 (कामर्शियल) गीडा में स्थित 11 के.वी. विद्युत की शिपिटंग का कार्य।	29.96	3.00	2950.00	03 मौह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि उनकी निविदा त्रुत्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु ₹० के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के क्रम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०-०४ (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी०-०५ (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी०-६ मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) ₹० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु सख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमे दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में सलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा मे भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ ₹० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में क्रम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आई०टी०आर० एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये ₹० 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0आ० प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्रूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कर्मी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा कि स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फार्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीड़ा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीड़ा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीड़ा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार के दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

(28)

26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संतोषजनक हैंडे ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत राशि निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।

27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ४७६७/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/2023-24 दिनांक ३० जनवरी 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर-11 में 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के०वी० विद्युत लाईन के निर्माण के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनॉक 01.02.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनॉक 21.02.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनॉक 21.02.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाइनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित।	कार्यविधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-11 में 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 के०वी० विद्युत लाईन के निर्माण के कार्य।	544.40	29.22	2950.00	06 मौह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तेः :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 180 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाइ करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के कम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति सलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक_न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्रीं का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ बैट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB व्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शापथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निवेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेग।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीड़ा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीड़ा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीड़ा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

- 29
- 25- कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण केरल कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।
- 27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ५७५८/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा/गीड़ा/२०२३-२४ दिनोंक ३० जनवरी २०२४
प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (०५५१) २५८००१०, फैक्स (०५५१) २५८००१०.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गीडा के विभिन्न विकसित सेक्टरों में पथ-प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लगायी गयी एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट के रिपेयरिंग के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक ०१.०२.२०२४ को पूर्वान्ह ११:०० बजे से दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह २:०० बजे तक आमंत्रित दी जाती है तथा उसी दिन दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह ४:०० बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी. एस.टी. सहित (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित।	कार्यविधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा के विभिन्न विकसित सेक्टरों में पथ-प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एल.ई.डी.स्ट्रीट लाईट के रिपेयरिंग का कार्य।	9.94	1.00	1180.00	02 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	'सभी श्रेणी'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक २१.०२.२०२४ को दोपहर १२:०० बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या—७४०९०१०००८८, IFSC कोड—ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से १८० दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'किसी भी' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा—संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा—क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु० १००.०० के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० ११ दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्यक्ष निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०-०४ (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी०-०५ (वैद्य है/नहीं प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी०-६ मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा०)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में सलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10-निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफार्मेन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु० 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी०आई०एस० प्रमाण-पत्र तथा आई०एस०ओ० प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कर्मी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दायी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदायी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।


24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संन्तोषजनक पूर्णता हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।

27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।




(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 4750/अभिनि0-6/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/2023-24 दिनांक 30-जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिओ)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (०५५१) २५८००१०, फैक्स (०५५१) २५८००१०.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गीड़ा के ड्रान्सपोर्टनगर योजना सेक्टर-22 में स्थापित स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लाईट के अनुरक्षण के अनुरक्षण के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंसधारी ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक ०१.०२.२०२४ को पूर्वान्ह ११:०० बजे से दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह २:०० बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह ४:०० बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीड़ा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी. एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ड्रान्सपोर्टनगर योजना सेक्टर-22 में स्थापित स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लाईट के अनुरक्षण का कार्य।	8.34	0.84	1180.00	02 मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी लाईसेंस	'सभी श्रेणी'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक २१.०२.२०२४ को दोपहर १२:०० बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीड़ा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तेः—

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-७४०९०१०००८८, IFSC कोड-ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ॉन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से १८० दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी वैध लाइसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीड़ा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'किसी भी' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा—संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीड़ा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु० १००.०० के नौन ज्यूडिसियल स्टैच के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8— शासनादेश संख्या—2572 / 23—7—2014—176 (सामान्य) / 06 टी०सी० दिनांक 23—09—2014 के कम मे प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०—04 (वैद्य चरित्र प्रमाण—पत्र) एवम् टी०—05 (वैद्य हैसियत प्रमाण—पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी०—6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण—पत्र एवम् हैसियत प्रमाण—पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9— शासनादेश संख्या 836 / 23—07—2017 (साठ) / 06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में सलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया मे भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा मे भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10—निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पॉच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण—पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण—पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण—पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11— निविदा मे भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पॉच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पॉच वर्षों का आई०टी०आर० एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12— प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13— निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफार्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14— निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15— निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु० 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16— निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी०आई०एस० प्रमाण—पत्र तथा आई०एस०ओ० प्रमाण—पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17— निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय—समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करेंगे हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी0एण्ड0पी0 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी0आई0एस0 मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेग।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

(a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यूपी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।

25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।

27

26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।

27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ८/८५/अभिनि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीड़ा/2023-24 दिनांक ३० जनवरी 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीड़ा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष— नं० (०५५१) २५८००१०, फैक्स (०५५१) २५८००१०.

इ—निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ट्रान्सपोर्टनगर एवं कामर्शीयल योजना सेक्टर-22 के मध्य स्थित सड़क मार्ग के बीच में डिवाईडर पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के डेकेदारों से आन लाईन ई—निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू—विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक ०१.०२.२०२४ को पूर्वान्ह ११:०० बजे से दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह २:०० बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक २१.०२.२०२४ को अपरान्ह ४:०० बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेसियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई—पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी. सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ट्रान्सपोर्टनगर एवं कामर्शीयल योजना सेक्टर-22 के मध्य स्थित सड़क मार्ग के बीच में डिवाईडर पर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लगाने का कार्य।	71.85	5.60	2950.00	०६ मॉह	विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	'ए'

नोट— कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक २१.०२.२०२४ को दोपहर १२:०० बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या—७४०९०१००००८८, IFSC कोड—ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से १८० दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा—संबंधी (**Defined as first bold relations, and their spouses**) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड़स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु0.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्यों/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई एवम् गुण्डा गतिविधियों में सलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से अन्तिम पाँच वर्ष में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(a) निविदा की लागत के न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के एकल कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(b) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के दो कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(c) निविदा की लागत में से प्रत्येक का न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक मूल्य के तीन कार्यों के सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित कार्य का कार्यादेश/स्वीकृति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 150 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आई0टी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपलाक अधिकारी 'गीड़ा' में निहित होगा। परफार्मेंस सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समाग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

निविदादाता द्वारा साईट पर मगाया जाने वाली सामग्री का गीड़ा के अधिकारी कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ कट्टी में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प ऐपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/पर्फर्मेन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैंक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- (a) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(b) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(c) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जॉच समिति अथवा गुणवत्ता जॉच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जॉच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेग।

(d) वर्णित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सामग्री तथा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है। निविदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री लेबर एवं टी०एण्ड०पी० की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा।

(e) कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐंसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह रेस्पा/बी०आई०एस० मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(f) संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(a) जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(b) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में समिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

24-निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।

- (a) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रीं की आपूर्ति एवम् फिकिसंग का कार्य गीडा/उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, द्वारा अनुमोदित जी०टी०पी० के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्ते गीडा/यू०पी०पी०सी०एल० के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निमार्ण विभाग के नियम एवं शर्ते के अनुसार अनुमन्य होगी।
- 25-कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 26- इरेक्शन कार्य के 90 प्रतिशत का भुगतान रनिंग बिल के आधार पर किया जायेगा, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण एवं हैंडेड ओवर के उपरान्त शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। कार्य की पूर्णता पर कार्यदांयी फर्म द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही लाईन को उर्जाकृत कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु किसी देय का भुगतान नहीं होगा।
- 27- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक ४७५३/अभि०नि०-६/विद्युत/ई-निविदा /गीडा/2023-24 दिनांक ३० जनवरी 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि�०)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी